

प्रेम्क.

आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

पंजीकृत

पत्रांक. रांशि०नि०/ ४३२५- ३/ /एन०ओ०सी०/२०१०-११ दिनांक. ०७/३/२०११
विषय- दिल्ली पब्लिक स्कूल, बर्सा, कानपुर नगर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये शासनादेश संख्या-1916
/15-7-091(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति को बैठक
दिनांक 05.03.2011 में लिये गये निर्णयानुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल, बर्सा कानपुर नगर
को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने में राज्य
सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है--

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सारायतों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेधावी
बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित
विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया
जायेगा।
- 4- सरथा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व
में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि
इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा
वर्ष से उचित केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक
शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेगा।
- 5- संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणकार कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान
तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये
जायेंगे।

